

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या:-03/02-राज्य यो0-वि0सर्वे0अमीन(आरोप)शेखपुरा-36/2022..... पटना, दिनांक :-

आदेश

समाहर्ता, शेखपुरा के ज्ञापांक 947 दिनांक 05.11.2022 द्वारा श्री रणवीर कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02304) के विरुद्ध गलत प्रतिवेदन देकर पदाधिकारियों को दिग्भ्रमित करने, रैयतों को परेशान करने, बातचीत में शालीनता नहीं बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करने के साथ निदेशालय को सेवा वापस करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

उक्त आदेश के अनुपालन में श्री कुमार निदेशालय मुख्यालय में योगदान न देते हुए दिनांक 23.11.2022 के द्वारा ई-मेल के माध्यम से आवेदन दिया गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि जो भी कार्य में त्रुटि हुई है, उसका निराकरण वे कर देंगे। अतः इन्हें वर्तमान पदस्थापन या किसी अन्य जिला में योगदान कराया जाय।

उक्त के आलोक में निदेशालय पत्रांक 1172 दिनांक 24.01.2023 के द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से मंतव्य की मांग की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी की अनुशंसा है कि इन्हें एक और मौका दिया जाय। बंदोबस्त पदाधिकारी की अनुशंसा से सहमत होते हुए श्री रणवीर कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02304) का एक माह के मानदेय की कटौती की जाती है। यदि भविष्य में पुनः किसी प्रकार की अनुशासनहीनता एवं कार्य शिथिलता का प्रतिवेदन प्राप्त होगा, तो इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा।

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :-03/02-राज्य यो0-वि0सर्वे0अमीन(आरोप)शेखपुरा-36/2022..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- श्री रणवीर कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02304), बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :-03/02-राज्य यो0-वि0सर्वे0अमीन(आरोप)शेखपुरा-36/2022..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :-03/02-राज्य यो0-वि0सर्वे0अमीन(आरोप)शेखपुरा-36/2022..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण